

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 11 सितम्बर, 2020

विषय:- ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि० द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे० आरक्षित व 0.101 हे० संरक्षित वनभूमि (46.879 हे० वनभूमि) के गैरवानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बांस कोटी में से 238 वृक्षों एवं 290 बांस कोटी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बांस कोटी में से 310 वृक्षों व 09 बांस कोटी के पातन अर्थात् कुल 88.748 हे० आरक्षित एवं 0.884 हे० संरक्षित कल योग-89.632 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों 511 बांस कोटी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बांस कोटी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

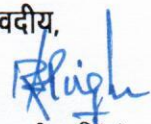
उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8बी/यूपी/04/90/2020/एफसी/1875 दिनांक 08.09.2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई है, जो निम्नवत है :-

- 1- NOC of NHAI & Railways needs to be submitted.
- 2- NBWL clearance needs to be provided.
- 3- The net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 176.0 ha. which is less than actual required CA land area.
- 4- As per provided kml file of CA land, small patches of agriculture field have been observed in Obra & Kaimur Division, this needs to be clarified.
- 5- As per Google Earth Imageries in CA land polygon of Varansi Division, plantation activity has been observed, this needs to be clarified.

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 01.09.2020 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या/तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव।